न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी — श्री राजीव द्विवेदी आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या— 17/2017 (राजस्व वाद)

दायर दिनांक— 8.5.17

फैसल दिनांक —

अनवान

1—सेंगा पिता कचरा भील निवासी नन्दौड (वादी)

बनाम

1— श्री बदीया पिता लालू भील निवासी नन्दौड
2— हाजू पूत्री लालू भील
3— मीरं पूत्री लालू भील
4— अनु पूत्री लालू भील
5— श्रीमती सोमी बेवा लालू भील
6— श्री जयन्ति पिता कालिया भील
7— शीला पूत्री कालिया भील
8— माया पूत्री कालिया भील
9— भावना पूत्री शंकर भील
10— राजू पूत्री शंकर भील
11— चन्दा पूत्री शंकर भील
12— श्रीमती गवरी बेवा शकर भील निवासी नन्दौड
13— भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा (प्रतिवादीगण)

वकील वादी— श्री मयंक दोसी

वकील प्रतिवादी 1—5 — श्री शेलेन्द्र जैन

वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 12 गांव नन्दौड के निवासी होकर आपस में रिश्तेदार है ।वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जेदारी के मौजा नन्दौड के खाता संख्या 516/370 की कृषि भूमि है जिनमें कुल 12 खेत होकर इसका कुल रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा है जिसमें वादी का 1/2 ,प्रतिवादी संख्या 1 से 12 का 1/2 हिस्सा है । यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य करीब 20—25 वर्ष पूर्व उक्त आराजीयात का बंटवारा हो चुका

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

है एवं मोके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं लेकिन अब प्रतिवादीगण वादी को वादी के
हिस्से पर काशत करने से रेाक रहे है अतः मौजा नन्दौड के खाता संख्या 516/370 की कृषि
भूमि है जिनमें कुल 12 खेत होकर इसका कुल रकबा 7 बीघा 16 जिसमें वादी का 1/2 व
प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 का 1/2 हिस्सा है का खाता प्रथक दर्ज कराने एवं प्रतिवादीगण
के विरूद्ध वादी के हिस्से की भूमि पर वादी के कृषि कार्य में किसी प्रकार की रूकावट नहीं
करने स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी की ओर से वाद पत्र की पुष्टि में शपाि पत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी
,गिरदावरी एवं नक्शा ट्रैस की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।
प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील द्धारा वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु एवं
शेष प्रतिवादीगण का वकालतनामा प्रस्तुत करने अवसर चाहा गया ।

राज्यसरकार के आदेशानुसार पत्रावली न्याय आपके द्धार शिविर पंचायत मुख्यालय
नन्दौड पर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया । वकील प्रतिवादी को जवाब हेतु पर्याप्त
अवसर प्रदान किए जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है । वकील प्रतिवादी
द्धारा अनावश्यक पेशियां ली जाकर प्रकरण को लम्बित किया जाने से दिनांक 11.5.2018 को
प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है ।

हमने शिविर स्थल पर पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में
प्रस्तुत नकल जमाबन्दी खाता संख्या 516/370 में वादी 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण
1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज रेकार्ड है । वादी अपने हिस्से की भूमि का प्रथक खाता दर्ज
कराने का अधिकारी है ।

आदेश दिनांक 24.5.2018 के कम में वाद वादी प्रारम्भिक डिकी किया जाकर
तहसीलदार सागवाडा को आदेश मोजा नन्दौड के खाता संख्या 516/370 कुल खेत 12
रकबा 7 बिघा 16 बिस्वा का वादी का 1/2 हिस्से का बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शे
के तीन प्रति में प्रस्तुत करने आदेश दिए गए ।

तहसीलदार सागवाडा द्धारा उक्त आदेश के कम में जरिये पत्र संख्या 562/राजस्व
दिनांक 18.7.2018 के द्धारा बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शे के निम्नानुसार प्रस्तुत की गई –

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
जयन्ति,शीला,माया पिता कालिया 1/7,भावना राजू चन्दा पिता शंकर गवरी बेवा शंकर 1/7,बदीया हाजू मीरं अनु पिता लालु सोमी बेवा लालू 5/7 हिब भील सादेह खातेदार	2982	0.03	सी0 I	0.15
				0.17
	2983	0.03	सी0 I	0.23
	2987	0.04	सी0 I	0.68
	3491	0.09	सु. I	0.71
	3514	0.11	सु. II	

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज.)

	3515	0.03	म.बीड	0.01
	3521	0.05	म.बीड	0.01
	3522	0.18	सु. ।।	1.20
	3650	0.01	सु. ।	0.10
	3651	0.09	सु. ।	0.67
	3715	0.09	सु. ।	0.64
	3716	0.03	म.बीड	
सेगा पिता कचरा मीणा भील सा देह खातेदार	2982/1	0.02	सी0 ।	0.14
	2983/1	0.03	सी0 ।	0.17
	2987/1	0.04	सी0 ।	0.23
	3491/1	0.09	सु. ।	0.67
	3514/1	0.11	सु. ।।	0.72
	3515/1	0.04	म.बीड	0.01
	3521/1	0.05	म.बीड	0.02
	3522/1	0.19	सु. ।।	1.200.13
	3650/1	0.02	सु. ।	0.68
	3651/1	0.09	सु. ।	0.64
	3715/1	0.08	सु. ।	
	3716/1	0.02	म.बीड	

उपरोक्तानुसार प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के कम में पक्षकारान अभिभाषकगण को सुना गया । अभिभाषकगण द्वारा प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट से सहमति व्यक्त की गई ।

अतः वाद वादी अन्तिम डिकी किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि निर्णय व डिकी के संलग्न बंटवारा रिपोर्ट (परिशिष्ठ – अ) के अनुसार पक्षकारान के मध्य आराजीयात का बंटवारा कर तदनुसार रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादी के हिस्से की भूमि पर वादी के कृषि कार्य में किसी प्रकार की रूकावट नहीं करें। बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ – अ निर्णय एवं डिकी का अभिन्न अंग रहेगा । वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे । अन्तिम डिकी जारी की जावे ।

पत्रावली फेसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूंगरपुर (राज.)